

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/168574/AMN/AMBEDKAR NAGAR/1192/CFO

दिनांक: 12-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **COSMOPOLITAN SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ASHOPUR, MAYA ROAD, ALIGANJ** तहसील - **TANDA**, प्लाट एरिया **10218.50 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **3605** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **3** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A	2	0	7 mt.
BLOCK B	3	0	11 mt.
BLOCK C	2	0	0 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **COSMOPOLITAN SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईओएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **19-08-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PAUL JOSEPH** E-Mail ID : **cosmopolitanschooltanda@gmail.com** Mobile No. : **9450491904** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **19-08-2025** से **18-08-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **COSMOPOLITAN SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **COSMOPOLITAN SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

- Note :** 1. सेट बैक के सम्बन्ध में सत्ता प्राधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
2. भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील रखने की पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी / अधिभोगी की होगी।
3. फायर पम्प को सदैव ऑटो मोड में रखा जाना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **19-08-2025**
स्थान : **AMBEDKAR NAGAR**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Jai Prakash Singh)

[49E14DDDB657D84AD71266898C61B1FE4333961]

19-08-2025